संख्या-535/2018/751/22-2-2018-17(94)/2011

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 28 जून, 2018**

विषय केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रज्जन पुत्र श्री लालता प्रसाद पाण्डेय, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-17577/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-06-09-2016) दिनांक-15-05-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 15-05-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रज्जन पुत्र श्री लालता प्रसाद पाण्डेय, निवासी ग्राम-सराय जानमती मजरे खटबारा, थाना-जेठवारा, जनपद-प्रतापगढ़ का रहने वाला है। दोनों पक्षों के मध्य पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 12/13-04-1996 की रात्रि लगभग 12:00 बजे चन्दिका प्रसाद पाण्डेय के घर में घुस कर लड़की नीलम व गुड्डन व लड़का मनोज कुमार, संतोष कुमार व सुशील कुमार एवं गुलाब कली के ऊपर डीजल डाल कर मकान में आग लगा दी जिनकी आग से जल कर मृत्यु हो गयी तथा शीतला प्रसाद पाण्डेय को गोली मार कर हत्या कर दी, **07** मृतकों में अबोध बच्चे भी शामिल थे। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-238/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302, 148, 436, 449, 397 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश /एफ0टी0सी-द्वितीय, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 07.10.2002 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया] जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.01.2016 तक 19 वर्ष 08 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 08 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि दोनों पक्षों के मध्य पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चन्दिका प्रसाद पाण्डेय के घर में घुस कर लड़की नीलम व गुड्डन व लड़का मनोज कुमार, संतोष कुमार व सुशील कुमार एवं गुलाब कली के ऊपर डीजल डाल कर मकान में आग लगा दी जिनकी आग से जल कर मृत्यु हो गयी तथा शीतला प्रसाद पाण्डेय को गोली मार कर हत्या कर दी, **07** मृतकों में अबोध बच्चे भी शामिल थे। बन्दी द्वारा जघन्यतम अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रज्जन पुत्र श्री लालता प्रसाद पाण्डेय को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रज्जन (बन्दी संख्या-8511/2002) पुत्र श्री लालता प्रसाद पाण्डेय, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-535/2018/751(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद प्रतापगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-535/2018/751/22-2-2018-17(94)/2011

दिनांक 28 जून, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रज्जन (बन्दी संख्या-8511/2002) पुत्र श्री लालता प्रसाद पाण्डेय, निवासी ग्राम-सराय जानमती मजरे खटबारा, थाना-जेठवारा, जनपद-प्रतापगढ़ का रहने वाला है। दोनों पक्षों के मध्य पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 12/13-04-1996 की रात्रि लगभग 12:00 बजे चन्दिका प्रसाद पाण्डेय के घर में घुस कर लड़की नीलम व गुड्डन व लड़का मनोज कुमार, संतोष कुमार व सुशील कुमार एवं गुलाब कली के ऊपर डीजल डाल कर मकान में आग लगा दी जिनकी आग से जल कर मृत्यु हो गयी तथा शीतला प्रसाद पाण्डेय को गोली मार कर हत्या कर दी, **07** मृतकों में अबोध बच्चे भी शामिल थे। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-238/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302, 148, 436, 449, 397 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश /एफ0टी0सी-द्वितीय, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 07.10.2002 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया] जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.01.2016 तक 19 वर्ष 08 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 08 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं **जिला मजिस्ट्रेट**, **प्रतापगढ़** द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि दोनों पक्षों के मध्य पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर चन्दिका प्रसाद पाण्डेय के घर में घुस कर लड़की नीलम व गुड्डन व लड़का मनोज कुमार, संतोष कुमार व सुशील कुमार एवं गुलाब कली के ऊपर डीजल डाल कर मकान में आग लगा दी जिनकी आग से जल कर मृत्यु हो गयी तथा शीतला प्रसाद पाण्डेय को गोली मार कर हत्या कर दी, 07 मृतकों में अबोध बच्चे भी शामिल थे। बन्दी द्वारा जघन्यतम अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रज्जन पुत्र श्री लालता प्रसाद पाण्डेय को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in